कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक – 2849 / 14–1 दिनांक, मुरादाबाद, 25 / 03 /2021

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

विषयः– जनपद मुरादाबाद में भारत पैट्रोलियम कॉ0 लि0, मेरठ द्वारा मुरादाबाद–हरिद्वार–देहरादून (मुरादाबाद–कांठ) मार्ग (एस0एच0–49) के किमी0 19–20 चैनेज 19.138 की बॉयी पटरी पर ग्राम खलीलपुर अमरू, तहसील कांठ की खसरा/गाटा संख्या–187/1 पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पैट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075063 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 03 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
File No. FP/UP/ OTHERS /125027/2021

सन्दर्भः– आपकी पत्र सं0–2482/14–1 दिनांक 24.03.2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गया है :–

1– ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु सं0–4 (ii) की तालिका में अंकित वृक्षों का विवरण तथा प्रस्ताव में संलग्न वृक्षों की सूची भिन्नता है। भिन्नता दूर करें।

2– प्रस्ताव एवं ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड CA प्राक्कलन निर्धारित मानक के अनुसार नहीं बनाया गया है CA प्राक्कलन मु0व0सं0/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ की पत्र सं0–526/11–सी दिनांक 09/09/2016 द्वारा निर्गत निर्देशानुसार रोपण एवं 10 वर्ष के अनुरक्षण सहित बनाया जाये।

3– पुनः प्रस्ताव का ऑनलाइन/आफलाइन परीक्षण कर लें, ताकि कोई अन्य कमी न रहें।

उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए तथा ऑनलाइन अपलोड करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 04 प्रतियाँ तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 04 मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(विजय सिंह)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

प्रवसंशोधित प्रस्ताव
की मूल 4 प्रतियों सहित
प्राप्त किया
Dharmendra